

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

::- आदेश -::


क्रमांक.....36...../
दो-11-01/2001,

रीवा, दिनांक 02 फरवरी, 2024

प्रशासनिक सुविधा एवं कार्य व्यवस्था की दृष्टि से निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमार्क
1	श्री मोहन लाल साकेत, भृत्य	भृत्य, न्यायालय श्री हीरालाल अलावा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिरमौर	भृत्य, प्रतिलिपि अनुभाग, सिरमौर	रिक्त स्थान पर।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृ. क्रमांक.....565...../
दो-11-01/2001,

रीवा, दिनांक 02 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग/प्रतिलिपि सिरमौर।
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिरमौर।
3. संबंधित कर्मचारीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. जूजियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
6. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0